

न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड, जिला वाडमेर
राजस्व प्रकरण मामला संख्या 69/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956
सायल बनाम गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी ऊण्डू

रूमालनाथ पुत्र मेवानाथ
जाति जोगी निवासी पनावास।

“निर्णय”

दिनांक:--31.07.2025

पत्रावली आज बमुकाम भिंयाड में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ऊण्डू ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा पाण्डूनगर के खसरा नं. 1100/663 रकबा 36.4459 हैक्टेयर किस्म गै.मुमकीन आगोर में से 3.00 बीघा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काशत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रुपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रुपये 18/- पूर्णांक में अक्षरे अठारह रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना से आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 31.07.2025 को सरेआम सुनाया गया।


नायब तहसीलदार भिंयाड

